बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग 5241 (अ) अनु

पत्रांक–भवन / बजट–46–विविध–24 / 2025–26..................

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह, (भा०प्र०से०)
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता,
सभी संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः– 10/6/26

विषयः– **कोषागार शीर्ष–8443–00–108–0004 में जमा उपकर की राशि को बोर्ड के Payee Id- SW197876, Account No.-35059942218 में अंतरित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना का पत्रांक–471 दिनांक–27.05.2026

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं संलग्न विवरणी का कृपया संदर्भ करें। भवन निर्माण विभाग के अधीनस्थ विभिन्न भवन प्रमंडलों के पास जमा कोषागार शीर्ष–8443–00–108–0004 में कुल 65,36,50,141 / –(पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार एक सौ इकताली रूपये) मात्र उपकर की राशि जमा है, जिसे बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना है।

अतः इस संदर्भ में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके प्रमंडल अन्तर्गत कोषागार शीर्ष–8443–00–108–0004 में जमा उपकर की राशि को BTC Form-53 में ऑन–लाईन बिल तैयार कर बोर्ड के Payee Id- SW197876, Account No.-35059942218, IFSC Code-SBIN0018815 में नियमानुसार जांचोपरांत अंतरण करते हुए कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

D:\F.Y. 2026-27 BudgetSection\Rahul FY 206-27\LetterRahul ji 24-25-26.docx

पत्र सं0–बी0सी0डब्लू0सी0–27 / 2021 श्र0सं0– 471

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना

29 MAY 2026

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव, भा0प्र0से0
सचिव (बोर्ड)

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार सरकार।

पटना, दिनांक:– 27.05.2026

विषय :– कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.- 35059942218 में अंतरित करने के संबंध में।

प्रसंग :–
1. बोर्ड का पत्रांक–282 दिनांक–16.03.2026।
2. सी. ए. जी. के वित्तीय वर्ष 2023–24 के "राज्य के वित्त" का प्रतिवेदन में अंकित कंडिका संख्या–2.6.2.5।
3. वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–e.-gov/CFMS-04/2022/884 दिनांक–24.01.2023 एवं पत्रांक– को0प्र0 / निरी0–02 / 2024 / 13053 दिनांक–23.12.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बोर्ड के पत्रांक–282 दिनांक–16.03.2026 द्वारा भवन निर्माण विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपकर की राशि **रू0 65,36,50,141/– (रूपये पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार एक सौ इकतालीस)** कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 से BTC-53 में Online Bill तैयार कर बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC Code – SBIN0018815 में शीघ्र अंतरण हेतु संबंधित को निदेशित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित उपकर की राशि **रू0 65,36,50,141/– (रूपये पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार एक सौ इकतालीस)** कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 से BTC-53 में Online Bill तैयार कर बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC Code – SBIN0018815 में अंतरित करने से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन बोर्ड को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार यादव)
सचिव (बोर्ड)

प्राप्ति की तिथि......2026/S.K. Letter - 745
बिहार, पटना

(95)

पत्र सं0–बी0सी0डब्लू0सी0–27/2021 श्र0सं0– 282

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना

प्रेषक,

दीपक आनन्द, भा0प्र0से0
अध्यक्ष (बोर्ड)।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार सरकार।

पटना, दिनांकः– 16.03.2026

विषय :– कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.- 35059942218 में अंतरित करने के संबंध में।

प्रसंग :– 1. सी. ए. जी. के वित्तीय वर्ष 2023–24 के "राज्य के वित्त" का प्रतिवेदन में अंकित कंडिका संख्या–2.6.2.5।

2. वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–e.-gov/CFMS-04/2022/884 दिनांक–24.01.2023 एवं पत्रांक– को0प्र0/निरी0–02/2024/13053 दिनांक–23.12.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार भवन निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न office id के नाम पर कुल राशि **रू0 65,36,50,141/– (रूपये पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार एक सौ इकतालीस)** कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा है, जिसे अब तक बोर्ड के Payee Id-SW197876 में अंतरित नहीं किया गया है **(शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि का Office wise details की छायाप्रति संलग्न)।**

CAG के वित्तीय वर्ष 2023–24 के "राज्य के वित्त" का प्रतिवेदन में अंकित कंडिका संख्या–2.6.2.5 में कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24) बोर्ड को अंतरित नहीं किए जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज की गयी थी। साथ ही वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–871 दिनांक–19.11.2025 द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान उपकर मद में शीर्ष–8443-00-108-0004 में कुल जमा राशि बोर्ड को हस्तांतरित करने हेतु निदेशित किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)।**

उक्त आपत्ति के आलोक में वित्त विभाग ने पत्रांक–e.-gov/CFMS-04/2022/884 दिनांक–24.01.2023 एवं पत्रांक– को0प्र0/निरी0–02/2024/13053 दिनांक–23.12.2025 द्वारा सभी कोषागार पदाधिकारी को कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 में जमा उपकर की

2026/S.K. Letter- 88

राशि को बोर्ड के Payee Id-SW197876 में अंतरित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु अब तक राशि का अंतरण बोर्ड को नहीं हो पाया है।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार सरकार पत्रांक–एम–4–21/2021/1354 दिनांक–06.02.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के विपत्र को कोषागार में प्रस्तुत करने की समय–सीमा दिनांक–15.03.2026/20.03.2026 तय की गई है जिसके उपरांत विपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि भवन निर्माण विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपकर की राशि **रू0 65,36,50,141/– (रूपये पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार एक सौ इकतालीस)** कोषागार शीर्ष–8443-00-108-0004 से BTC-53 में Online Bill तैयार कर बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC Code – SBIN0018815 में शीघ्र अंतरण करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/03/26

(दीपक आनन्द)
अध्यक्ष (बोर्ड)

Labour Cess Details for the Period FY 2019-20 to 2024-25

ffice Id	Office Name	Dept. Code	Dept. Name	Amount Deposited till date	Amount transferred till date	Balance Amoun
319	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Lakhisarai	BUI	BCD	1,60,02,227.00	1,59,09,330.00	92,897.00
8809	BUILDING DIVISION HIGH COURT PATNA	BUI	BCD	1,34,89,291.00	1,32,14,906.00	2,74,385.00
2732	BUILDING DIVISION BEGUSARAI	BUI	BCD	2,16,05,368.00	2,12,21,180.00	3,84,188.00
9269	ELECTRIC WORKS DIVISION ARAH	BUI	BCD	18,04,508.00	13,07,242.00	4,97,266.00
2510	EXECUTIVE ENGINEER Building Division ARA	BUI	BCD	2,38,81,847.00	2,33,59,344.00	5,22,503.00
8810	ELECTRIC WORKS DIVISION SAHARSA	BUI	BCD	10,94,984.00	5,43,801.00	5,51,183.00
8926	ELECTRICAL WORKS DIVISION MOTIHARI	BUI	BCD	12,69,716.00	5,77,072.00	6,92,644.00
8811	ELECTRIC WORKS DIVISION PURNEA	BUI	BCD	17,93,650.00	10,97,139.00	6,96,511.00
8925	ELECTRICAL WORKS DIVISION CHHAPRA	BUI	BCD	13,45,729.00	6,15,092.00	7,30,637.00
3248	Electric Works Division MUzaffarpur	BUI	BCD	23,84,728.00	14,66,989.00	9,17,739.00
8808	ELECTRIC WORKS DIVISION MUNGER	BUI	BCD	16,30,173.00	7,11,169.00	9,19,004.00
2591	EXECUTIVE ENGINEER. BUILDING DIVISION BHABUA	BUI	BCD	2,50,53,673.00	2,41,16,967.00	9,36,706.00
8812	ELECTRIC WORKS DIVISION GAYA	BUI	BCD	30,66,473.00	17,05,381.00	13,61,092.00
2834	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION SUPAUL	BUI	BCD	2,98,00,478.00	2,84,28,998.00	13,71,480.00
3759	Executive Officer Garden division BCD patna	BUI	BCD	39,09,510.00	23,02,573.00	16,06,937.00
2534	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION BANKA	BUI	BCD	1,51,03,863.00	1,32,74,720.00	18,29,143.00
3371	ELECTRICAL EXECUTIVE ENGINEER ELECTRICAL WORKS DIVISION DARBHANGA	BUI	BCD	32,18,447.00	12,81,420.00	19,37,027.00
2799	ELECTRIC EXECUTIVE. ENGG.ELEC.WORKS DIV. BGP (B.C.D)	BUI	BCD	30,32,936.00	10,69,053.00	19,63,883.00
2062	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Siwan	BUI	BCD	1,99,14,848.00	1,78,54,485.00	20,60,363.00
2857	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION BUXAR	BUI	BCD	2,32,08,270.00	2,11,32,634.00	20,75,636.00
3488	ELECTRICAL WORKS DIVISION-2	BUI	BCD	51,91,172.00	27,53,381.00	24,37,791.00
9539	EEE EWD NO-3 BCD PATNA	BUI	BCD	1,14,71,655.00	70,41,415.00	44,30,240.00
2749	EXECUTIVE.ENGINEER.BUILDING DIVISION JAMUI	BUI	BCD	83,45,406.00	38,16,618.00	45,28,788.00
8778	EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION -3 BCD PATNA	BUI	BCD	3,98,87,634.00	3,48,01,139.00	50,86,495.00
2576	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION SAMASTIPUR	BUI	BCD	3,33,81,581.00	2,69,98,724.00	63,82,857.00
2495	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION SAHARSA	BUI	BCD	1,26,42,864.00	44,69,874.00	81,72,990.00
3185	EXECUTIVE ENGINEER GARDANIBAG BUILDING DIVISION BCD PATNA	BUI	BCD	1,93,14,151.00	1,10,37,337.00	82,76,814.00
2575	EXECUTIVE. ENGINEER. BHAWAN PRAMANDAL CHAPRA	BUI	BCD	1,59,26,630.00	71,07,114.00	88,19,516.00
3447	ELECTRIC WORKS DIVISION-1	BUI	BCD	2,03,08,301.00	1,14,67,570.00	88,40,731.00
3416	EXECUTIVE ENGINEER PATNA WEST BUILDING DIVISION DANAPUR	BUI	BCD	2,30,29,515.00	1,32,84,404.00	97,45,111.00
3334	EXECUTIVE ENGINEER VAISHALI BUILDING DIVISION HAJIPUR	BUI	BCD	1,83,09,885.00	84,64,338.00	98,45,547.00
8003	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION SHEOHAR	BUI	BCD	1,52,17,318.00	50,31,228.00	1,01,86,090.00
3354	EXECUTIVE ENGINEER SHEIKHPURA BUILDING DIVISION	BUI	BCD	2,28,70,179.00	1,13,38,006.00	1,15,32,173.00
3125	EXECUTIVE ENGINEER PATNA CITY BUILDING DIVISION GULZARBAGH PATNA	BUI	BCD	3,77,33,083.00	2,58,75,736.00	1,18,57,347.00
2278	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION MUNGER	BUI	BCD	2,00,44,501.00	77,73,272.00	1,22,71,229.00
3412	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION MUZAFFARPUR	BUI	BCD	2,48,75,413.00	1,24,98,344.00	1,23,77,069.00
2483	EXECUTIVE ENGINEER Patna Building Division PATNA	BUI	BCD	2,73,25,912.00	1,49,44,216.00	1,23,81,696.00
313	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION JEHANABAD	BUI	BCD	2,62,51,885.00	1,30,82,365.00	1,31,69,520.00
3189	EXECUTIVE ENGINEER PATLIPUTRA BUILDING DIVISION BCD PATNA	BUI	BCD	2,41,64,356.00	1,08,88,763.00	1,32,75,593.00
2602	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION KISHANGANJ	BUI	BCD	1,99,27,682.00	64,84,550.00	1,34,43,132.00
2966	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION KATIHAR	BUI	BCD	2,39,72,661.00	1,02,51,894.00	1,37,20,767.00
2724	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION KHAGARIA	BUI	BCD	2,75,32,250.00	1,37,02,794.00	1,38,29,456.00
3126	EXECUTIVE ENGINEER NALANDA BUILDING DIVISION BIHARSHARIF	BUI	BCD	2,57,91,287.00	1,16,97,502.00	1,40,93,785.00

	Office Name	Dept. Code	Dept. Name	Amount Deposited till date	Amount transferred till date	Balance Amo
[illegible]	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION BHAGALPUR	BUI	BCD	2,75,06,796.00	1,33,66,498.00	1,41,40,29
[illegible]	EXECUTIVE.ENGINEER .BUILDING DIV SITAMARHI	BUI	BCD	2,21,03,961.00	75,92,288.00	1,45,11,69
3308	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION PURNEA	BUI	BCD	2,41,51,529.00	91,56,131.00	1,49,95,39
318	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Madhepura	BUI	BCD	2,03,93,834.00	44,82,490.00	1,59,11,34
3359	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION NAWADA	BUI	BCD	2,40,15,227.00	74,59,054.00	1,65,56,17
2847	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION ARWAL	BUI	BCD	2,32,10,821.00	59,14,737.00	1,72,96,08
2967	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION AURANGABAD	BUI	BCD	2,34,34,822.00	60,82,467.00	1,73,52,35
314	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Gopalganj	BUI	BCD	3,16,14,422.00	1,41,34,693.00	1,74,79,72
3206	EXCUTIVE ENGINER BUILDING DIV.ARARIA	BUI	BCD	2,97,20,693.00	1,16,33,865.00	1,80,86,82
2757	EXECUTIVE ENGINEER.BUILDING.DIVISION.GAYA	BUI	BCD	4,65,45,566.00	2,80,33,288.00	1,85,12,27
2507	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION MOTIHARI	BUI	BCD	3,27,07,389.00	1,40,61,222.00	1,86,46,167
2184	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Darbhanga	BUI	BCD	3,79,32,780.00	1,89,42,491.00	1,89,90,28
2210	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION MADHUBANI	BUI	BCD	2,98,66,374.00	65,19,022.00	2,33,47,352
317	EXECUTIVE ENGINEER Building Division Bettiah	BUI	BCD	4,18,31,521.00	1,81,01,619.00	2,37,29,902
3400	EXECUTIVE ENGINEER BUILDING DIVISION SASARAM	BUI	BCD	2,81,30,605.00	39,32,975.00	2,41,97,630
3050	EXECUTIVE.ENGINEER. CENTRAL BUILDING DIVISION BCD PATNA	BUI	BCD	5,89,96,932.00	3,44,30,000.00	2,45,66,932
3174	EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIV-1 BCD PATNA	BUI	BCD	31,98,85,409.00	28,20,49,009.00	3,78,36,400.
2335	EXECUTIVE ENGINEER. CONSTRUCTION DIV -2 B.C.D. PATNA	BUI	BCD	15,49,89,649.00	8,76,22,321.00	6,73,67,328.
	Total of BCD			1,69,31,64,390.00	1,03,95,14,249.00	65,36,50,141.

सरकार ने न तो जी0आर0एफ0 का गठन किया और न ही उसके मार्गदर्शन पर अधिकतम निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए थे। इस प्रकार राज्य सरकार ने जी0आर0एफ0 में ₹129.70 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं दिया (वर्ष 2023-24 की शुरुआत में ₹39.25 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत)। जी0आर0एफ0 में अंशदान न करने से राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने से वंचित होगा, साथ ही राज्य का राजस्व अधिशेष उस सीमा तक बढ़ गया।

2.6.2.5 राज्य की समेकित निधि/लोक लेखे से बाहर की निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) तथा अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है, कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उस सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों कि एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" होगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशि, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय को पूरा करने हेतु विभिन्न उपकर/लेवी लगाई। लेखापरीक्षा संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों के संबंध में सूचना/आँकड़ें एकत्र किए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

असंगठित क्षेत्र के सन्निर्माण कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 तैयार किए हैं, जिनका अनुसरण करते हुए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 और नियम (संशोधन) 2016 राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के आलोक में, बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए फरवरी 2008 के महीने में बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निधि प्रदान करना है। बोर्ड राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत की दर से निधियाँ एकत्र करता है।

विभागों ने उपकर की वसूली मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा के अंतर्गत दर्ज की, जिसमें उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, श्रमिकों से जुड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र किए गए उपकर की बुकिंग के लिए जून 2019 में सरकार द्वारा एक अलग उप-शीर्ष (8443-00-108-0004) खोला गया। हालाँकि, खोला गया उप-शीर्ष, 31 मार्च 2024 तक कार्यरत नहीं था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के दौरान उपकर के संग्रह और बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को इसके हस्तांतरण की राशि तालिका 2.43 में नीचे दर्शायी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

तालिका 2.43: बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का संग्रहण एवं अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित	अंतरित	गैर-अंतरित राशि
2019-20	89.9	0.14	89.76
2020-21	116.97	31.44	85.53
2021-22	122.23	51.41	70.82
2022-23	104.95	92.91	12.04
2023-24	119.61	153.98	(-) 34.37
कुल	553.66	329.88	223.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.43 से पता चलता है कि सरकार ने बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को ₹ 153.98 करोड़ अंतरित किए, जिसमें विगत वर्षों की अंतरित नहीं की गई राशि भी शामिल थी, जबकि चालू वर्ष के दौरान ₹ 119.61 करोड़ एकत्र किए गए थे। मार्च 2024 तक ₹ 223.78 करोड़ का अंतरित नहीं की गई शेष, राज्य की देयता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, इस अंतरित नहीं की गई राशि के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक बढ़ गया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन (एम0वी0) कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 ए के प्रावधानों के तहत, अधिनियम में निर्दिष्ट दर के अनुसार सड़क सुरक्षा उपकर लगाया और एकत्र किया जाना है। अधिनियम की धारा 6 बी के प्रावधानों के तहत, सड़क सुरक्षा उपकर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए, राज्य सरकार ने (मार्च 2017) "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" की स्थापना की है।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने (03/2017), 0041-00-102-0002- उपकर की प्राप्ति के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर लगाने से प्राप्तियाँ' और 2041-00-101-0005- नामित मुख्य शीर्षों के तहत व्यय करने के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर (आर0एस0सी0) से प्राप्तियों का योगदान' अधिसूचित किया।

2019-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 733.01 करोड़ (0041-00-102-0002-सड़क सुरक्षा उपकर) का सड़क सुरक्षा उपकर एकत्र किया। इस अवधि के दौरान इसमें से केवल ₹ 63.47 करोड़ का व्यय किया गया (2041-00-101-0005-सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्तियों का अंशदान) जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ एकत्र हो गईं। इसके अलावा, 2023-24 में ₹ 164.35 करोड़ अंतरित नहीं किये जाने के कारण राजस्व अधिशेष का अतिकथन और राजकोषीय घाटा का अवकथन उस सीमा तक था।

अन्य उपकर

2023-24 के दौरान, सरकार ने ₹ 1.49 करोड़ (2022-23: ₹ 1.26 करोड़ और 2021-22: ₹ 1.28 करोड़) का भूमि उपकर एकत्र किया। हालाँकि, सरकार ने उपकर एकत्र किया, लेकिन उसने 31 मार्च 2024 तक इसके लिए एक कोष स्थापित नहीं किया है।

इसके अलावा, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, *लगान* पर लगाए गए चार उपकर अर्थात् स्वास्थ्य (50 प्रतिशत), शिक्षा (50 प्रतिशत), सड़क (25 प्रतिशत) और कृषि (20 प्रतिशत) वसूल कर रहा था।

यद्यपि उपर्युक्त उपकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जा रहे थे, इन उपकरों के लिए कोई अलग से लेखा शीर्ष संचालित नहीं किए जा रहे थे, जिसके अभाव में, वास्तविक संग्रह के ब्यौरे और इन उपकरों के उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

राज्य में लगाए जा रहे और संग्रहित किए जा रहे उपकरों की कुल संख्या के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया गया लेकिन संबंधित सूचना सरकार से प्राप्त नहीं हुई।

Scanned with OKEN Scanner

ई-मेल

पत्र सं०- को0प्र0 / निरी0-02 / 2024................................/

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,
अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,
सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।
कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, भवन, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक-...............................

विषयः-- **शीर्ष-8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि को बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC-SBIN0018815 में अंतरित करने के संबंध में।**

प्रसंगः-- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1151 दिनांक-15.12.2025 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-884 दिनांक-24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से विभिन्न कार्य विभागों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 1% उपकर की राशि कटौती कर शीर्ष-8443-00-108-0004 में जमा किया जा रहा है और इसके स्वतः स्फूर्त विपत्र को e-Sign कर बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC-SBIN0018815 में अंतरित करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व में भी इस हेतु निदेश दिया गया था।

अतः निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र में अंकित बिन्दुओं के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांक- को0प्र0 / निरी0-02 / 2024.......13053.......पटना, दिनांक 23-12-2025

प्रतिलिपिः **सचिव(बोर्ड)**, श्रम संसाधन विभाग (बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना), बिहार, पटना/**श्री रजनीकांत रजनीश,** प्रोजेक्ट मैनेजर, TCS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/2025
संयुक्त आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक e.-gov./CFMS 04/2022 ..../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक- ....

विषयः- शीर्ष-8443-00-108-0004 में जमा उपकर की राशि को बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC-SBIN0018815 में अंतरित करने के संबंध में ।

प्रसंगः- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-51 दिनांक-16.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न कार्य विभागों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 1% उपकर की राशि कटौती कर शीर्ष-8443-00-108-0004 में जमा किया जा रहा है और इसके लिए स्वतः स्फूर्त विपत्र को e-Sign कर बोर्ड के Payee Id-SW197876, Account No.-35059942218, IFSC-SBIN0018815 में अंतरित करने का अनुरोध किया गया है ।

अतः निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र में अंकित बिन्दुओं के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नकः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(अजय कुमार ठाकुर),
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

ज्ञापांक e.-gov./CFMS-04/2022..........684..........पटना,दिनांक-......25/01/2023

प्रतिलिपिः सचिव(बोर्ड), श्रम संसाधन विभाग (बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना), बिहार, पटना/श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, प्रोजेक्ट मैनेजर(CFMS), TCS Ltd. Patna को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार ठाकुर),
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

संचिका संख्या-अ.पा.-62/2025 - 871/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा0प्र0से0

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/परिवहन विभाग/श्रम संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः- 19/11/2025

विषयः- महालेखाकार कार्यालय द्वारा आयोजित Exit Conference में दिये गये परामर्श के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः- दिनांक-10.10.2025 को सम्पन्न Exit Conference की कार्यवाही पत्रांक- AA/Exit conf./25-26/291 दिनांक-16.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिनांक-10.10.2025 को सम्पन्न Exit conference में कहा गया कि संचित निधि में दो उपकर Road Safety Cess एवं Land Cess संग्रह किये जा रहे है। Cess के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निम्न आपत्ति दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है-

(i) Road Safety Cess से संबंधित परिवहन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या-1625, दिनांक-30.03.2017 बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2016 के अंतर्गत उपकर की प्राप्ति तथा निधि में राशि के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है लेकिन निधि का हस्तांतरण राज्य के लेखे के अधिन न होकर राज्य सरकार के लेखे से बाहर बैंक खाते के माध्यम से किया जा रहा है। अधिसूचना में उपकर के अतिरिक्त अन्य प्राप्तियों/अनुदान को भी इसी बैंक खाता में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) वर्ष 2024-25 के दौरान Labour Cess मद में कुल जमा राशि को संबंधित प्राधिकार को हस्तांतरित नही किया गया है।

(iii) साथ ही भूमि पर उपकर के संबंध में कोई भी ज्ञात नियमावली उपलब्ध नही होने के संबंध में सूचित किया गया है, जिस कारण उपकर का प्रायोजन स्पष्ट नही हो रहा है।

2. Exit Conference की कार्यवाही पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कार्यवाही की कंडिका-13 के आलोक में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19.11.25

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)

Scanned with OKEN Scanner